संख्याः 708 /डी0एल0आर0सी0–सी0स्त0नि0/2019

कार्यालय जिलाधिकारी रायबरेली

दिनांक 05 सितम्बर, 2019

अल्पकालीन निविंदा सूचना

जिलाधिकारी, रायबरेली के अनुमोदन दिनांक 29.08.2019 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु (नये सीमा स्तम्भ के निर्माण एवं तहसीलवार आपूर्ति एवं स्थापन हेतु) 5.00लाख से अधिक के कार्यो की मोहरबन्द निविंदाए हेतु टी–4 व टी–5 युक्त/पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक **16.09.2019** को **अपरान्ह 02:00बजे** तक मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो **उसी दिन अपरान्ह 3:30 बजे तक** उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। समयोपरान्त प्राप्त निविंदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। एक अथवा समस्त निविंदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी (अध्यक्ष/जिलाधिकारी, रायबरेली) में निहित होगा। सभी निविंदाओं को अपनी निविंदा के साथ **02** प्रतिशत जमानत धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो जिलाधिकारी, रायबरेली के पद नाम बन्धक होगी। उक्त धनराशि एन0एस0सी0 /एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में ही मान्य होगी। निविदा प्रपत्र **दिनांक 11.09.2019 को प्रातः 10:00बजे से 02:00बजे** के मध्य जिलाधिकारी कार्यालय रायबरेली के सात भूलेख अनुभाग के एल0आर0सी0 पटल से नगद भुगतान पर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविंदा एवं कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कलेक्ट्रेट–रायबरेली स्थित सात भूलेख अनुभाग के एल0आर0सी0 से प्राप्त की जा सकती है। विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रूपये में) जी0एस0टी0 +शेष टैक्स सहित	जमानत धनराशि	निविदा फार्म का मूल्य जी0एस0टी0 सहित	कार्य पूर्ण करने का समय
जनपद की समस्त तहसीलों (सदर, सलोन, ऊँचाहार, डलमऊ, लालगंज, महराजगंज) में मानक के अनुसार वर्ग अधार के छिन्नक आकार के सीमा स्तम्भ 1:2:4 के आर0सी0सी0 से कराया जाना है, जिसमें निमानुसार 1 प्रतिशत सरिया डालने का प्राविधान है। इस प्रकार कुल–2595 नये सीमा स्तम्भ के निर्माण, आपूर्ति एवं स्थापन का कार्य।	**28,54,500.00 (अट्ठाइस लाख, चौव्वन हजार, पांच सौ)**	**3,00,000**	**200.00+12 जी0एस0टी0**	15 दिन

नियम व शर्तेः–8

1. जी0एस0टी0 पंजीयन अनिवार्य है।
2. सभी निविदाओं के साथ 02प्रतिशत अग्रिम जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जो जिलाधिकारी, रायबरेली के पद नाम बन्धक हो को मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है। शेष 08 प्रतिशत जमानत निविंदा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुबंध करते समय सर्वन्यून निविंदादाता को कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को पैन कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4. किसी भी निविंदा को बिना कारण बताएं स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
5. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त रू0 500/–जनरल स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

(रामअभिलाष)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
रायबरेली

संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतुः–

1. जिलाधिकारी महोदया रायबरेली को सादर सूचनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय, रायबरेली।
3. नगर मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
4. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद, रायबरेली को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
5. अधिशाषी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रायबरेली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रायबरेली को इस आशय से कि उपरोक्त निविंदा को अपनी वेबसाइड पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. जिला सूचनाधिकारी, रायबरेली को 10 प्रतियों में इस आशय से कि कृपया प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में तत्काल निःशुल्क प्रकाशन कराकर, प्रकाशित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. एल0आर0सी0, सात–भूलेख, कलेक्ट्रेट रायबरेली को सूचनार्थ एवं नियमानुसार समुचित आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट–रायबरेली को जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
रायबरेली